



सार्वजनिक सूचना

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये लागू सोलर पी.वी., सोलर थर्मल एवं ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप व लघु सोलर पी.वी. संयंत्र तथा इसके पश्चात आयोग द्वारा समीक्षित/संशोधित किये जाने तक पूंजी लागत के मानदण्ड की समीक्षा के सम्बन्ध में निर्गत प्रारूप आदेश पर सुझाव आमंत्रण हेतु।

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 61(h), 86(1)(e) सपठित धारा 181(2)(zd) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये लागू सोलर पी.वी., सोलर थर्मल एवं ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप व लघु सोलर पी.वी. संयंत्र तथा इसके पश्चात आयोग द्वारा समीक्षित/संशोधित किये जाने तक पूंजी लागत के मानदण्ड की समीक्षा के सम्बन्ध में प्रारूप आदेश जारी किया गया है। प्रारूप आदेश दिनांकित 28.04.2015 आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है।

उक्त प्रारूप आदेश पर सभी स्टैकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियां, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 18.05.2015 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या स्वयः उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर आदेश को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।